

	4. रुपये 1851/- से 2400/- तक	रुपये 970/- प्रति प्रूफ लीटर
	5. रुपये 2401/- से 3500/- तक	रुपये 1090/- प्रति प्रूफ लीटर
	6. रुपये 3501/- से 4500/- तक	रुपये 1155/- प्रति प्रूफ लीटर
	7. रुपये 4501/- से 6500/- तक	रुपये 1210/- प्रति प्रूफ लीटर
	8. रुपये 6501/- से 8500/- तक	रुपये 1280/- प्रति प्रूफ लीटर
	9. रुपये 8501/- से 11,000/- तक	रुपये 1335/- प्रति प्रूफ लीटर
	10. रुपये 11,001/- और उससे अधिक	रुपये 1400/- प्रति प्रूफ लीटर
3.	बीयर (माल्ट) मदिरा:- प्रति बल्क लीटर भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (1) रुपये 100/-—प्रति ब.ली. तक (2) रुपये 101/- से 120/-—प्रति ब.ली. तक (3) रुपये 121/- प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक	ड्यूटी दर (1) रुपये 120/- प्रति ब.ली. (2) रुपये 140/- प्रति ब.ली. (3) रुपये 175/-प्रति ब.ली 155/-प्रति ब.ली.
4.	सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/कलबों के लिये :- (क) विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	वर्ष 2024–25 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रुपये 425/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	वर्ष 2023–24 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रुपये 120/- प्रति बल्क लीटर

टीप:- भारत के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) (Blended & Bottled Outside India) पर प्रदेश में आयात शुल्क समाप्त करते हुए प्रदेश में प्रचलित आबकारी शुल्क अधिरोपित किया जाता है।

2. उक्त संशोधन दिनांक 01–09–2024 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 11 जुलाई 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–34/2024/वा.क.(आब.)/पांच(62).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) के उप खण्ड (दो) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शवित्राओं को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा इस संबंध में जारी पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–1/2016/वा.कर(आब.)/पांच (11), दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अतिष्ठित करते हुए प्ररूप एफ.एल.10 (विदेशी मदिरा का थोक—क्रय, भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञाप्ति) के लिये वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस रुपये 50,00,000/- (अक्षरी रुपये पचास लाख केवल) (प्रति गोदाम) विहित करता है।

2. यह संशोधन जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 11th July 2024

NOTIFICATION

No. F 10-34/2024/CT(Ex.)/V(62) .— In exercise of the powers conferred in sub-section (1) and sub-clause (ii) of clause (h) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No.II of 1915), read with sub-rule (2) of rule 8 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 in supersession of the Notification No. F-10-1/2016/C.T.(Ex.)/V(11), dated 25 February 2016, the State Government hereby prescribes the annual license fees for F.L.-10 Licence (License for wholesale purchase, storage and sale of foreign liquor) as Rupees 50,00,000/- (Rupees Fifty Lakhs only) (per Godown).

2. This amendment shall be applicable from date of issue.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.